



The Jharkhand Lift and Escalators Act, 2017

Act 18 of 2017

Keywords:

Automatic Rescue Device, Lift Cage, Lift Installation, Passenger, Power

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 933 राँची, सोमवार, 13 अग्रहायण, 1939 (श०)
4 दिसम्बर, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-14/2017-114/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2017

(झारखंड अधिनियम संख्या-18, 2017)

झारखण्ड राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों तथा उनसे संबद्ध सभी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव तथा निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम ।

यह भारत-गणराज्य के सर्सठवे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1) यह अधिनियम झारखण्ड लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2017 कहलायेगा।

2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3) यह सरकार द्वारा राजपत्र में निर्गत अधिसूचना में यथा नियत तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ:- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक इस अधिनियम में:-

क) "स्वचालित बचाव प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जिसमें यदि भवन में बिजली चली जाती है तो लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर रुक कर खुल जायेगा;

ख) "एस्केलेटर" से अभिप्रेत है सवारियों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए बिजली पर निरंतर चलने वाली सीढ़ी;

ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

घ) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36, 2003) की धारा-162 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह विद्युत निरीक्षक, जिसकी अधिकारिता में वह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है;

ड) "लिफ्ट" से अभिप्रेत है, बिजली से चलने वाली ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली, वास्तव में जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों को ढोने के लिए किया जाता है;

च) "लिफ्ट पिंजरा" से अभिप्रेत है लिफ्ट का कार या पिंजरा जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है;

छ) "लिफ्ट अधिष्ठापन" में शामिल है लिफ्ट पिंजरा, लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग का घेरा एवं लिफ्ट परिचालन की यांत्रिक प्रणाली तथा रज्जु, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध तथा लिफ्ट परिचालन से संबंधित यंत्र एवं मशीनरी;

ज) "लिफ्ट मार्ग" से अभिप्रेत है, धूरा या हविश जिसमें लिफ्ट पिंजरा आता जाता है;

झ) "लिफ्ट मार्ग घेरा" में शामिल है लिफ्ट मार्ग के चारों ओर या बंद करने के लिए वास्तविक संरचना;

ञ) "मालिक" से अभिप्रेत हैं सोसाईटी या संगम या संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है;

ट) "सवारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो अपने परिवहन के प्रयोजनार्थ लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लिफ्ट प्रचालक भी सवारी माना जायेगा।

ठ) "बिजली" में विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत या यांत्रिकी विद्युत आदि अथवा इनका कोई संयोजन शामिल है;

ड) "परिसर" से अभिप्रेत है, कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी और जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है;

ढ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

ण) "निबंधन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निरीक्षक द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नियत करना;

त) "धारा" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

थ) "राज्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ;

3. पदाधिकारियों और पदधारियों की नियुक्ति:-

1) सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्यों के निष्पादनार्थ या इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और यथा आवश्यक निरीक्षकों, अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों की नियुक्ति करेगी, जो यथा विहित अर्हता रखते हों;

2) मुख्य विद्युत निरीक्षक राज्य के निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों पर आम अधिक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा;

4. निबंधन

1) लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के पश्चात उसका मालिक एक माह के भीतर ऐसी लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन हेतु यथा विहित शुल्क के साथ विहित फारम में आवेदन करेगा। शुल्क अप्रतिदेय होगा;

2) सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षक 30 दिनों के भीतर लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नीयत करते हुए इन्हें निबंधित करेगा;

3) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन हेतु किसी लिफ्ट या एस्केलेटर रख-रखाव कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था को प्रमाण स्वरूप देते हुए लिफ्ट या एस्केलेटर के वार्षिक रख-रखाव की संविदा या की गई कोई अन्य व्यवस्था की प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देगा।

4) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन के लिए यथा विहित फारम में एवं रीति से सभी वार्षिक सुरक्षा प्रमाण पत्र देगा;

5. स्वचालित बचाव प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट में फंसे सवारियों को बचाने हेतु उसका मालिक स्वचालित बचाव प्रणाली की व्यवस्था करेगा, जिसमें लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर आकर रुकेगा तथा उसका दरवाजा खुल जायेगा।

6. वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट का कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए मालिक 30 सेकेंड के भीतर वैकल्पिक स्वचालित बिजली आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

7. निरीक्षण:-

निरीक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या अभिकरण द्वारा निबंधित प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण तीन वर्षों में एक बार किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण के लिए किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन जाँच शुल्क के अतिरिक्त विहित शुल्क लिया जायेगा।

8. व्यवहार संहिता:-

1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयजनों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत व्यवहार संहिता, यदि कोई हो का पालन किया जायेगा, (जिसमें राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी शामिल है) तथा कोई असंगति पायी जाने की दशा में इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभिभावी होगा;

2) प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश से संपू्ष्ट होंगे, जहाँ ऐसे विनिर्देश पहले ही अधिकथित हैं;

3) परिसरों में अधिष्ठापित किये जाने वाले लिफ्टों या एस्केलेटरों की संख्या और उनके बीच की परस्पर दूरी भारतीय मानक ब्यूरो एवं राष्ट्रीय भवन संहिता की सुसंगत व्यवहार संहिता से शासित होंगे;

9. विद्यमान लिफ्टों या एस्केलेटरों का निबंधन:-

1) धारा-4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक मालिक जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन किया है वह इसके प्रभावी होने के दो माह की अवधि के भीतर ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

2) ऐसे आवेदन पर धारा-4 की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के उपबंध लागू होंगे;

10. निरीक्षण के लिए किसी भवन में प्रवेश करने का अधिकार:-

कोई निरीक्षक सभी उपयुक्त समय में सरकारी सेवा में रहने वाले किसी सहायक, यदि कोई हो, के साथ जैसा वह उचित समझे, किसी ऐसे परिसर में जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं अथवा जिनके निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अधिष्ठापन या उनके कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकते हैं।

11. असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एस्केलेटर:-

धारा-7 के अधीन निरीक्षण करने के उपरांत यदि निरीक्षक यह पाता है कि किसी भवन का कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह ऐसे मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटरों की यथा आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन कराने का निदेश दे सकता है अथवा वह उसका उपयोग तब तक रोक सकता है, जबतक कि उसका समाधान न हो जाय कि ऐसी मरम्मत या परिवर्तन करा लिये गये हैं या असुरक्षित अवस्था दूर कर ली गई है।

12. सील करना:-

1) कोई लिफ्ट या एस्केलेटर जिसके संबंध में धारा-11 के अधीन कोई निर्देश निर्गत किया गया है, उसका निरीक्षक के समाधान होने तक पालन नहीं किया गया है, ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर को यदि उसी अवस्था में चलता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षक द्वारा उसे सील करने का आदेश दिया जा सकता है;

2) उपधारा-(1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के पास की जायेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा;

13. बीमा:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन पूरा होने के पश्चात मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा ताकि उसका उपयोग करने वाले सवारियों का जोखिम आच्छादित हो सके।

14. कर्मपुस्ती और प्रतिवेदन:-

1) मालिक प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कर्मपुस्ती संधारित करेगा तथा उसमें परिचालन ठप हो जाना (विद्युत आपूर्ति चली जाने से भिन्न) और दुर्घटना, यदि कोई हो, तो दर्ज करेगा। इस कर्मपुस्ती का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा जब और जैसे चाहें किया जा सकता है;

2) जब कभी किसी ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के परिचालन पद्धति में कोई दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो मालिक 24 घंटे के भीतर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कार्य करने वाले निरीक्षक को यथा विहित फारम में देगा और निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना इसे पुनः चालु नहीं करेगा;

15. समवर्ती दायित्व:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी सुरक्षा उपबंध के ठीक से कार्य नहीं करने के चलते दुर्घटना होने की दशा में यथास्थिति, लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन या रख-रखाव कम्पनी पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी ठहराया जा सकता है।

16. बंद होने की सूचना देना:-

यदि किसी भवन में जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं, वह कार्य नहीं करता है तो मालिक द्वारा इसकी सूचना एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी।

17. जीवन विस्तार:-

परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर को उसके अधिष्ठापन के बीस वर्षों की अवधि के पश्चात मालिक द्वारा बदल दिया जायेगा। ऐसा बदलाव लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के 21वें वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा तथा मालिक धारा-4 के अधीन नया निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

18. शिथिल करने की शक्ति:-

सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध को ऐसी शर्त के अधीन, जो वह उचित समझे शिथिल कर सकती है।

19. शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

20. शास्ति:-

जो कोई इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्ध होने पर तीन माह तक का कारावास या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध के पश्चात जारी उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

21. अपराध का संज्ञान:-

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण:-

इस अधिनियम या एतद्वान बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने से

आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

23. नियम बनाने की शक्ति:-

1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है;

2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है:-

क) लिफ्टों या एस्केलेटरों के लिए विनिर्देश;

ख) रीति, जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर की परिनिर्माण योजना प्रस्तुत की जाती है;

ग) रीति, लिफ्टों या एस्केलेटरों की जाँच की जाती है;

घ) लिफ्ट या एस्केलेटर के परिनिर्माण हेतु अनुमति का आवेदन प्रपत्र तथा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति;

ड- धारा-1 की उपधारा-(4) के अधीन भेजे जाने वाले समापन प्रतिवेदन का फारम;

च) शर्तें एवं बंधज और निर्बंधन और फारम जिनके अध्यक्षीन लिफ्टों या एस्केलेटरों की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क;

छ) रीति और बंधज जिनके अध्यक्षीन लिफ्ट या एस्केलेटर कार्य करेंगे;

ज) रीति, जिसमें धारा-14(2) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जायेगी;

झ) अपील करने का फारम एवं रीति; और

ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जानेवाला हो या विहित किया जा सके;

3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो, यदि सदन सहमत हो जाता है कि नियम में उपांतरण किया जाय अथवा नियम बनाया ही नहीं जाय, तो नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

24. व्यावृत्ति:-

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-14/2017-115/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को अनुमत झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Lift And Escalators Act, 2017 (Jharkhand Act No. 18, 2017)

An Act to provide for the regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Seventh year of the Republic of India as follows :-

- | | | |
|---|---|--|
| Short title, extent and commencement | 1 | (1) This Act may be called as The Jharkhand Lift and Escalators Act, 2017.
(2) It extends to the whole State of Jharkhand.
(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette. |
| Definitions. | 2 | In this Act unless the context otherwise required,-
(a) "automatic rescue device" means a device which, in case of power failure in the building, enables the lift to land and stop at the nearest landing floor and open the landing and lift cage doors simultaneously;
(b) "escalator" means a moving inclined continuous stairway or runway used for raising or lowering passengers, which work on power;
(c) "Government" means the Government of the State of Jharkhand;
(d) "Inspector" means the Electrical Inspector appointed by State Government under Sub Section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003), who has Territorial Jurisdiction over the place of installation of a lift or an escalator;
(e) "lift" means a hoisting and lowering mechanism equipped with a cage which moves in an upward and downward direction, and work on power and is designed or is actually used to carry passengers or goods, or both;
(f) "lift cage" means a car or a cage of a lift used for the conveyance of passengers or goods, or both;
(g) "lift installation" includes a lift cage, a lift way, a lift way enclosure, and an operating mechanism of the lift and ropes, cables, wires, safety provisions and plant and machinery connected with the operation of the lift;
(h) "lift way" means a shaft or hoist way in which the lift cage travels;
(i) "lift way enclosure" includes any substantial structure surrounding or enclosing the lift way;
(j) "owner" means an owner or occupier or office bearer of a society or an |

association, or a tenant, of the whole or part of a premises, who has applied for registration;

(k) "passenger" means any person who uses the lift or escalator for the purpose of his conveyance;

Explanation.- For the purpose of this clause, a lift operator shall also be treated as a passenger;

(l) "power" includes electrical, hydraulic, pneumatic or mechanical power, etc. or a combination of any of these;

(m) "premises" means any structure, whether temporary or permanent, where a lift or escalator is installed;

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(o) "registration" means assignment of a number to a lift or escalator by the Inspector under section 4 of this Act.

(p) "section" means a section of this Act;

(q) "State" means the State of Jharkhand.

Appointment of officers and officials.

- 3 (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Electrical Inspector and as many Inspectors other officers and officials, as may be necessary, having such qualifications as may be prescribed, for the purpose of performing the functions assigned to them by or under this Act.
- (2) The Chief Electrical Inspector shall have general superintendence and control over the Inspectors and other officers and officials in the State and may issue necessary directions for carrying out the purpose of this Act.

Registration.

- 4 (1) Every owner shall, within a period of one month after the completion of the installation of a lift or an escalator, apply for registration for such lift or escalator, in such form and manner along with such fee as may be prescribed. The fee shall be non-refundable.
- (2) On receipt of an application, complete in all respects, the Inspector shall register the lift or escalator, by assigning a number to it within a period of thirty days.
- (3) Every owner of a lift or escalator, shall submit every year a copy of annual lift or escalator maintenance contract or any other arrangement made for maintenance of lifts and escalators to the Inspector in token of having the contract or arrangement made with any lift or escalator maintenance company for the smooth and safe running of the lift or escalator.
- (4) Every owner of a lift or escalator shall also furnish all annual safety certificates in such form and manner as may be prescribed for the smooth and safe running of the lift or escalator.

Automatic rescue device.

- 5 The owner shall make arrangement to provide for an automatic rescue device to rescue the travelling passengers trapped in the lift in the event of breakdown of power supply by bringing and stopping the lift at the nearest landing floor and keeping the landing and lift cage door open.

Alternate power supply system.

- 6 The owner shall make arrangements to provide for alternative automatic power supply system to ensure the functioning of the lift in the event of breakdown of power supply within a period of thirty seconds.

Inspection.

- 7 Every lift and escalator which has been registered shall be inspected once in a period of three years by the Inspector or by an officer or an agency

authorized by the Government on its behalf. A fee as may be prescribed shall be charged for such inspection, in addition to any other electrical installation testing fees.

- | | | |
|---|-----|---|
| Code of practice. | 8 | <p>(1) Save as otherwise provided in this Act, the relevant code of practice of the Bureau of Indian Standards (including National Building Code and National Electrical Code), if any, may be followed to carry out the purposes of this Act and in the event of any inconsistency, the provisions of this Act and the rules made there under shall prevail.</p> <p>(2) The material and apparatus used shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards where such specifications have already been laid down.</p> <p>(3) The number of lifts or escalators to be installed in a premises and the spacing between them shall be governed as per the relevant code of practice of Bureau of Indian Standards and the National Building Code.</p> |
| Registration of existing lifts and escalators. | 9 | <p>(1) Notwithstanding anything contained in section 4, every owner who has installed a lift or an escalator in premises before the date of the commencement of the Act, shall within a period of two months from such commencement, apply for a registration of such lift or escalator.</p> <p>(2) The provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of section 4 shall, apply to such application.</p> |
| Right to enter any building for inspection. | 10 | An inspector at all reasonable hours, with such assistants, if any, being persons in the service of the Government, as he thinks fit, may enter any premises in which a lift or an escalator is installed or in connection with which an application for registration has been received, for the purpose of inspection the lift or escalator or their installation or the site thereof. |
| Lifts or escalators in an unsafe condition. | 11 | If, upon an inspection as it is carried out under section 7, the Inspector finds that any lift or escalator in any building is in an unsafe condition, he may direct the owner requiring such repairs or alterations to be made to such lift or escalators, as he may deem necessary, within the period specified by him and may also forbid the use of such lift or escalator until such repairs or alterations are carried out or such unsafe condition is removed to his satisfaction. |
| Sealing. | 12. | <p>(1) Any lift or escalator in respect of which a direction is issued under section 11 has not been carried out to the satisfaction of the Inspector, such lift or escalator, in case the same is found being used may be ordered to be sealed by the Inspector.</p> <p>(2) An appeal against an order under sub-section (1) shall lie to the Chief Electrical Inspector, Energy Department, Jharkhand, whose decision shall be final.</p> |
| Insurance. | 13 | The owner shall, after the completion of the installation of such lift or escalator, ensure third party insurance mandatory so as to cover the risk of passengers using such lift or escalators. |
| Log book and reporting. | 14 | <p>(1) The owner shall, maintain a log book for each lift and escalator and enter therein the details of operation, break-down (other than failure in electrical supply) and accident, if any. This log book may be inspected by the Inspector as and when he desires.</p> <p>(2) Whenever any accident occurs in the process of operation of any lift or</p> |

escalator causing injury to any person, the owner shall, within a period of twenty-four hours of the accident, give intimation with full details of accident, in such form as may be prescribed, to the Inspector the working of such lift or escalator, shall not be resumed except, with the written permission of the Inspector.

Concurrent liability.	15	The lift or escalator installation or maintenance company, as the case may be, may also be prosecuted and held liable for punishment under this Act in case an accident occurs in the lift or escalator, due to malfunctioning of any of the safety provisions of the lift or escalator, if attributable to such lift or escalator installation or maintenance company.
Intimation about closure.	16	If any building where lift or escalator is installed gets decommissioned, intimation about this shall be given by the owner to the Inspector within a period of one month.
Life span.	17	A lift or escalator installed in the premises shall be replaced by the owner of the lift or escalator, after the period of twenty years of its installation. Such replacement shall be completed within the twenty-first year of the installation of the lift or escalator, and the owner shall apply for a fresh registration under section 4.
Power to relax.	18	The Government may, by order in writing, direct that any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be relaxed subject to such conditions as it may be fit.
Delegation of powers.	19	The Government may, delegate any of its powers conferred on it by or under this Act, to such officer as it may deem fit.
Penalty.	20	Whoever contravene any of the provisions of this Act, or the rules made thereunder shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
Cognizance of offence.	21	No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint made by the Inspector, appointed under the Act.
Protection for action taken in good faith.	22	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, or of the rules made thereunder.
Power to make rules.	23	(1) The Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purpose of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :- (a) Specifications for lifts and escalators; (b) The manner in which erection plans of lift and escalators shall be submitted;

- (c) The manner in which lifts and escalators may be tested;
- (d) The form of application of permission for the erection of lift and escalators and license for working such lifts and escalators;
- (e) The form of report of completion to be sent under sub-section (4) of section 1;
- (f) The term and conditions and restrictions subject to which, and the form in which, the license may be granted for the working of lifts and escalators and the fees to be paid in respect of such licence;
- (g) The manner in which and the terms subject to which the lifts and escalators shall be worked;
- (h) The manner in which notice of accidents shall be given;
- (i) The form of notice of accidents to be given under section 14 (2);
- (j) The form and manner to file appeal; and
- (k) Any other matter which is to be, or may be prescribed.
- (3) Every rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, if the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Savings.

- 24 Nothing contained in this Act shall affect the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or the rules made thereunder.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
